रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERD NO D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 1987/ज्येष्ठ 18, 1909
No. 299] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 1987/JYAISTHA 18, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 जून, 1987

अधिसूचना

सं. 162/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 558(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम (8) के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना

सं. 193/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 मार्च, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि उक्त अनुसूची के उपशीर्ष सं. 0902.19 के अन्तर्गत आने वाली ऐसी चाय के संबंध में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 217/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1986 में अंतर्विष्ट छूट का लाभ उठा लिया गया है।"

[फा. सं. 354/34/87-सीमाशु]

गौतम रे, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th June, 1987

NOTIFICATION

NO. 162/87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 193/86-Central Excises, dated the 11th March, 1986, namely :—

In the said notification, after the Table, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"2. The exemption contained in this notification shall not apply if in respect of such tea, falling under sub-heading No. 0902.19 of the said Schedule, the exemption contained in the notification of the Government of India in

the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 217|86-Central Excises, dated the 2nd April, 1986, has been availed of.".

[F. No. 354|34|87-TRU]

GAUTAM RAY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987